कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र

पत्रांकःभ–45 / डी0डी0 / फा0स0 / मेरठ–13 (गौत0) [illegible] दिनांकःमई 10 ,2013

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (यू0पी0एस0आई0डी0सी0)

ग्रेटर नोएडा,

गौतमबुद्धनगर।

विषयः मैसर्स ओसिस बिल्डमार्ट (इण्डिया) प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–एच0आर0ए0–12ए0 साइट–सी (एक्सटेंशन) इण्डस्ट्रीयल एरिया ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित " वैनिशिया" ग्रुप हाउसिंग भवन के निमार्ण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः 07–05–2013 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराते हुए समांक पत्र दिनांक:26–02–2013 को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मे एरिया संशोधन के उपरान्त संशोधित अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के नये संशोधित मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया उनकी संस्तुति आख्या दिनांकः 08–05–2013 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

प्लाट एरिया–10,742.06 वर्ग मी0।

कमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल एरिया	ऊँचाई मी0 मे
1	टावर–वाल्ट	बेस, स्टिल्ट एवं 05	535.072	365.069	19.95
2	टावर–ए0	बेस, पाडियम एवं 12	410.263	306.311	39.250
3	टावर–बी0	बेस, पाडियम एवं 19	908.767	650.617	59.90
4	टावर–सी0	बेस, पाडियम एवं 19	725.437	573.377	59.90
5	कामर्शियल	भूतल	295.244		4.025
	बेसमेन्ट	7113.197			

भवन का अधिभोग विवरणः–

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– पहुच मार्ग– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार की चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2– सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–09.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–06.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–06.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–06.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त [illegible] किसी प्रकार का स्थाई / अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का [illegible] खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– निकास मार्ग– [illegible]

4– **रिफ्यूज एरियाः–** भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–** एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः–प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 लीख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः–भूमिगत टैंक के पास अग्निशमन कार्यो हेतु 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का 01 अदद मेन विद्युत चालित पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–**टेरिस टैंकः–** समस्त टावरो की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0, एवं टावर वाल्ट मे 25,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–टेरिस पम्पः टावर वाल्ट की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–होजरील मय डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं आई0एस0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– 45 मीटर से ऊॅचे टावरो के समस्त तलों अतिरिक्त भवन के सम्पूर्ण बेसमेन्ट मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–**मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–** प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

10–**स्मोक एक्स्ट्रेक्शनः–** प्रश्नगत भवन मे 02 बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–**एग्जिट साईनेजः–** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–**पी0ए0 सिस्टमः–** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके सचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ओसिस बिल्डमार्ट (इण्डिया) प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–एच0आर0ए0–12ए0 साइट सी (एक्सटेंशन) इण्डस्ट्रीयल एरिया ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित " वैनिशिया" ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र।

[illegible] मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
[illegible]
[illegible]